वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम–569

# जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 283 दि. 10.04.12

## आदेश

**विषयः शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए 4 माह की बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।**

राज्य सरकार ने इस वर्ष शीतलहर एवं पाला से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 25.03.2012 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:–

(1) लघु एवं सीमान्त कृषको को जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह दिसम्बर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012 एवं मार्च 2012 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।

(2) जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।

(3) यह राहत पैकेज संबंधित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होंने भूमि पर ठेकेदारी / बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियंता (पवस), जिला कलेक्टर से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियंताओं को उपलब्ध कराऐंगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियंता द्वारा 4 माह के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (A&R) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (A&R) इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम के निदेशक मण्डल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते है।

आज्ञा से

(डी. सी. भूरट)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है।